न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीताराम जी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 16/2019 अपील (RCMS/2019/00019)
पंजीयन दिनांक — 08.04.2019
निर्णय दिनांक — 11.09.2019

1. मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड, पता 601–603, 6ठा माला, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर स्थानीय कार्यालय दुर्गा नर्सरी रोड़, उदयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार स्वर्णकार पिात स्व. श्री चन्द्रसेन स्वर्णकार, निवासी देलवाड़ा, जिला राजसमन्द।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अरूण सुखाडिया पिता स्व. श्री मोहनलाल सुखाडिया,
2. श्रीमती कामायनी पुत्री स्व. श्री दिलीप सुखाडिया,
3. श्रीमती नीलिमा पत्नि स्व. श्री दिलीप सुखाडिया
   सभी निवासीयान मकान नम्बर–3, दुर्गा नर्सरी, उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री कमलेश चौहान — वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या–1

प्रकरण संख्या–10/2018, श्री अरूण सुखाडिया बनाम राज्य सरकार में न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 एवं उक्त आदेश के अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–2070 दिनांक 19.01.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–10/2018, श्री अरूण सुखाडिया बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 एवं उक्त आदेश के अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–2070 दिनांक 19.01.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्न प्रकार है–

- श्री अरूण सुखाड़िया ने तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा समक्ष दिनांक 29.05.1999 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनकी माता श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया का

WEB COPY - NOT OFFICIAL

स्वर्गवास दिनांक 08.05.1999 को हो गया है। स्वर्गीय श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया द्वारा उनके जीवनकाल में श्री अरूण सुखाडिया एवं उसके भाई श्री दिलीप सुखाडिया के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 27.02.1994 को निष्पादित की। श्री अरूण सुखाडिया द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर इन्दुबाला सुखाडिया के नाम पर दर्ज भूमियों का नामान्तरकरण वसीयत में किये उल्लेख अनुसार दोनों भाईयों के नाम किये जाने का अनुरोध किया गया।

- तहसीलदार गिर्वा द्वारा आदेश दिनांक 05.06.1999 से वसीयत के आधार पर आदेश में वर्णित आराजीयात श्री अरूण सुखाड़िया एवं श्री दिलीप सुखाडिया के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए एवं शेष भूमि आराजी 463, 464, 462, 466, 467, 487मीन, 488, 489मीन, 491, 492, 501मीन, 4856/462, 1867/461, 1869/456, 1870/509 कुल किता 15 क्षेत्रफल 1.4764 हैक्टेयर यह मानते हुए श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया के नाम रखने का आदेश दिया कि श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया द्वारा अपने जीवनकाल में बहुत सी भूमियों का हस्तान्तरण (दान पत्र–विक्रय आदि द्वारा) हो चुका है परन्तु राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं हुआ है।

- यद्यपि उक्त आवेदन पर तहसीलदार, गिर्वा द्वारा वसीयत को सही मानते हुए वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–862 दिनांक 08.06.1999 श्री अरूण सुखाडिया एवं श्री दिलीप सुखाडिया के पक्ष में स्वीकृत किया और तत्तश्चात अन्य नामान्तरकरण संख्या–873 दिनांक 17.07.1999, नामान्तरकरण संख्या–898 दिनांक 29.10.1999, नामान्तरकरण संख्या–1125 दिनांक 11.02.2003 एवं नामान्तरकरण संख्या–1136 दिनांक 12.05.2003 स्वीकृत किए।

- इसी क्रम में श्री अरूण सुखाडिया द्वारा स्व. श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया के नाम दर्ज खसरा नम्बर 464, 492, 501, 1856/462, 1867/461, 489मीन, 485 कुल किता 7 रकबा 0.3514 हैक्टेयर की भूमि आवेदन तहसीलदार, गिर्वा को प्रस्तुत किया और निवेदन जिसे तहसीलदार, गिर्वा द्वारा दिनांक 03.11.2014 को निरस्त कर दिया गया।

- तहसीलदार, गिर्वा के उक्त प्रकरण संख्या–199/1999 निर्णय दिनांक 03.11.2014 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष श्री अरूण सुखाडिया द्वारा अपील अर्न्तगत धारा–75 भू.राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की जिसे जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा श्री अरूण सुखाडिया द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके प्रकरण संख्या–37/2016 हुए। उक्त अपील संख्या–37/2016 में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 27.08.2018 को निर्णय पारित किया कि

> ''स्वर्गीय इन्दुबाला सुखाड़िया जो की अपीलान्ट एवं स्व. रेस्पोडेंट संख्या–1 की माता थी जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में अंतिम इच्छा पत्र सम्पादित किया गया था। जिसके आधार पर उनके सौ दिन पूर्ण होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.06.1999 से कृषि भूमियों का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज भी कर दिया गया। परन्तु अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि कुछ भुमियां अभी भी मृतक के नाम पर दर्ज है जिनका भी अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। जिस पर उनके द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार गिर्वा के समक्ष दिनांक 09.10.2014 को प्रस्तुत किया था। जिस पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.11.2014 से इन निर्देशों साथ में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया कि उल्लेखित आराजीयात वसीयत में नहीं होने से (वसीयतकर्ता)

खातेदार के नाम ही रहेगी। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में की गई है। जबकि पूर्व में भी जिन आराजीयातों का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खोला गया है उन आराजीयातों का उल्लेख भी वसीयत पत्र में नहीं था। अतः न्यायालय का यह मानना है कि पूर्व की तरह इन आराजीयातों का भी स्वर्गीय इन्दुबाला सुखाड़िया के वैध वारिसानों के नाम विधिवत दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा का आदेश दिनांक 03.11.2014 को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. मय प्रस्तुत ब्लु प्रिन्ट नक्शा की प्रति प्रेषित करते हुए इन निर्देशों के साथ में प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारानों के मध्य इस भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में क्या कार्यवाही विचाराधीन है। रास्ते के बिन्दु सिविल न्यायालय में तय होना है। यदि सिविल न्यायालय द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित कर दिया गया है एवं किसी अन्य सक्षम न्यायालय में इस वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश तो नहीं है। उस आदेश को मद्देनजर रखते हुए मौके पर रास्ते की भूमि कितनी है। रास्ते की भूमि को युआईटी के नाम हस्तान्तरित होने पर युआईटी से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि रास्ते के अतिरिक्त यूआईटी ने इस बात का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि रास्त के अतिरिक्त युआईटी की किसी प्लानिंग में क्या यह खातेदारी भूमि अवाप्ताधीन तो नहीं है। इन सब की बाद संतुष्टी विस्तृत जांच के पश्चात् ही वसीयत के आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में शेष भूमि का हितबद्ध पक्षकारों को सुनते हुए स्वर्गीय इन्दुबाला सुखाड़िया के विधिक वारिसानों के नाम पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"

- जिला कलक्टर, उदयपुर के उपरोक्त निर्णय दिनांक 27.08.2018 की अनुपालना में तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या–10/2018 दर्ज कर आदेश दिनांक 16.01.2019 पारित किया जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या–2070 स्वीकृत हुआ।

अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या–2070 में आराजी संख्या–492, 487, जो कि रास्ता है, फिर भी उसका नामान्तरकरण पक्षकारों (रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3) के नाम स्वीकृत किये जाने एवं आराजी नम्बर 489 मी के नामान्तरकरण से क्षुब्ध होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा पारित आदेश 16.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 13.08.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं बहस में प्रस्तुत किया है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 ने तहसीलदार, गिर्वा के प्रकरण संख्या–199/1999 निर्णय दिनांक 03.11.2014 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अर्न्तगत धारा–75 भू.राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा श्री अरूण सुखाडिया द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके प्रकरण संख्या–37/2016 हुए। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया एवं तहसीलदार को सभी हितबद्ध को सुनकर फैसला करने का आदेश दिया था लेकिन तहसीलदार, गिर्वा द्वारा अपीलार्थी जो कि हितबद्ध पक्षकार है, फिर भी बिना पक्षकार बनाये, सूचित किए, उक्त निर्णय दिनांक 16.01.2019 पारित कर आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जिला कलक्टर द्वारा, परन्तु अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया। अतः न्यायहित में अपीलार्थी

को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी का प्रस्तुत किया जो स्वीकार फरमाया जावें।

इसी प्रकार जब तहसीलदार, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 16.01.2019 को निर्णित करने में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया और न ही सूचित किया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। जब रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर अवरोध उत्पन्न किया गया और अपनी जमीन बताये जाने पर पटवारी से इस सम्बन्ध में जानकारी हुई और उक्त निर्णय की नकल दिनांक 01.04.2019 को प्राप्त हुई और प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत करने के हुई देरी के कारण पर्याप्त एवं संतोषजनक है, जिससे अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री अरूण सुखाड़िया एवं श्री दिलीप सुखाड़िया द्वारा दिनांक 05.03.2018 को एक राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा–151 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिस राजीनामा में भी आराजी नम्बर 492, 487 व 501 में रास्ता होना स्वीकार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा उक्त आराजी नम्बर 492, 487 व 501 रास्ते के रूप में दर्ज की जानी थी। रेस्पाडेंट संख्या–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम में भी यह माना है कि उक्त तीनो आराजीयात 492, 487 व 501 रास्ते की जमीन है।

शहर उदयुपर के उपरोक्त विषयान्तर्गत आराजीयात में हाल आराजी नम्बर 489 मीन जो साबिक आराजी नम्बर 1044 का भाग है, उस आराजी नम्बर 489 का जूज भाग 0.0600 हैक्टेयर को श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया द्वारा अपने जीवन काल में आवासीय रूपान्तरित करा श्री राजकुमार दुग्गड एवं श्रीमती हीरादेवी को विक्रय कर दी। इस आराजी नम्बर 489 का शेष भाग अपीलार्थी मंगलम बिल्ड डेवलपर्स को विक्रय किया जिसका वर्तमान आराजी नम्बर 1966/489 है। इस तरह से आराजी नम्बर 489 के किसी भाग की मालिक श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया नहीं रही थी।

अंत में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2019 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी नम्बर 492 व 487 को रास्ते के रूप में दर्ज करने एवं आराजी नम्बर 489मीन को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट उक्त प्रकरण में हितबद्व पक्षकार नहीं है। उक्त रास्ते की भूमि से अपीलान्ट को दुर–दुर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। कथित आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा चुका है, उसमें अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति नहीं है तथ अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 खारिज किया जावे। इसी प्रकार अपीलार्थी प्रश्नगत अपील देरी से प्रस्तुत के उचित एवं युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

जहां तक आराजी संख्या 489 मी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में Rajasthan Land Revenue (Allotment, Conversion & Regularization of Agriculture land for residential, commercial and

Public Utility Purpose in Urban Areas) Rule, 1981 के नियम प्रभावी होने से इस आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया।

जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपील पर निर्णय के दौरान सभी तथ्यों पर विचार कर निर्णय दिनांक 27.08.2018 को पारित किया। उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया के सभी विधिक वारिसान की जांच कराई गई, नगर विकास प्रन्यास से रिपोर्ट प्रात की गई, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए और नामान्तरकरण संख्या–2070 स्वीकृत किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व दिलीप सुखाडिया द्वारा जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें वास्तव मे जो रास्ते की भूमि थी उसे छोड़ते हुए अन्य आराजीयात की भूमि अपने नाम करने का राजीनामा पेश किया था तथा न्यायालय द्वारा इसी आधार पर निर्णय पारित किया। जिला कलक्टर ने सभी कथनों को सुनकर सही आदेश पारित किया तथा वसीयत के अलावा इन्दुबाला सुखाडिया की भूमि को उसके वारिसान के नाम करने का आदेश दिया गया तथा उसको ध्यान रखते हुए ही तहसीलदार गिर्वा ने सही आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत अपील पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए दर्ज हुई। दौराने अपीलीय प्रक्रिया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में अपील पर गुणावगुण पर विवेचन करने से पूर्व न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार पर विवेचन करना उचित समझता हूँ।

उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर कथन किया की जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते समय पक्षकारान का सुनकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बना निर्णय पारित कर आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया जिससे अपीलार्थी के कानूनी हक एवं अधिकार प्रभावित होते है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा आपत्ति हाजिर करते तर्क दिया गया कि विवादित आराजीयात से अपीलार्थी को कोई सम्बन्ध में नहीं है, वह पीड़ित पक्षकार एवं प्रभावित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। हमने अधिवक्ताओं के तर्क एवं प्रार्थना पत्र व अपील में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। अपीलार्थी आराजी संख्या–492 व 487 को रास्ते की भूमि के रूप में नगर विकास प्रन्यास/बिलानाम सरकार दर्ज कराने का अनुतोष चाहता है। उक्त दोनों आराजी के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपीलीय कार्यवाही के दौरान प्रार्थना पत्र 23 नियम 3 सपठित धारा–151 जा.दी. पेश किया यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा उक्त आराजी संख्या–492 व 487 को रास्ते के रूप में होना स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि पक्षकार उक्त आराजी संख्या–492 व 487 को रास्ते के रूप में दर्ज कराना चाहते है व कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज कराने के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश दिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः अपीलार्थी वांछित दाद हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी संख्या–492 व 487 का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगणों के नाम स्वीकृत

किये जाने पर उसके हित प्रभावित होते है, के सम्बन्ध में कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इन आराजी से अपनी संबद्धता प्रमाणित कर पाया है। अपीलार्थी द्वारा अपील में आराजी संख्या–489मीन को भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी के इस कथन पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपील में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में विश्लेषण किया गया और पाया गया कि मूल रूप से आराजी नम्बर 489 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि के दो भाग होकर एक भाग जो की आराजी नम्बर 1966/489 रकबा 0.3300 हैक्टेयर बना, अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया जो अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। शेष भाग आराजी संख्या–489 मीन रकबा 0.0600 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अन्य खातेदार के नाम दर्ज है, जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी की संबद्धता प्रमाणित नहीं होती है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा उक्त आराजी संख्या–489मीन को राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार द्वारा पूर्व में अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाना बताया, जिसका उल्लेख अपील में किया गया है। अपीलार्थी के कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आराजी संख्या–489मीन को कोई सम्बन्ध न होने से उसका कोई हित प्रभावित नहीं होता है। उक्त आराजी संख्या–489मीन उसके स्वामित्व की न होकर किसी अन्य के स्वामित्व की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के हित प्रभावित होना संभावित नहीं है। यदि अपीलार्थी के आराजी संख्या–489मीन के नामान्तरकरण से कोई हित प्रभावित होते है, तो सम्बन्धित व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाया जाना था जो नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशशुदा रेकार्ड के आधार पर, सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर, जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्देशों की पालना करते हुए, सभी तथ्यों पर पूर्णतया विचार एवं विश्लेषण करते हुए, तार्किक निर्णय पारित किया है। वर्तमान अपील में उन तथ्यों को खारिज किये जाने योग्य कोई प्रभावी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे विधि सम्मत निर्णय को अपीलार्थी द्वारा अपने कानूनी हक एवं अधिकारों के प्रभावित नहीं होने की स्थिति में एवं बिना किसी विधिक कारण के चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील जानबूझ कर गलत पेश की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 जाप्ता दीवानी का अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचती है कि रास्ते के रूप में विवादित आराजीयात के नामान्तरकरण/इन्द्राज के सम्बन्ध में अपील न तो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा न ही अपीलार्थी आलौच्य आदेश दिनांक 16.01.2019 एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–2070 से प्रभावित/व्यथीत है, न ही पीड़ित पक्षकार है जिससे कि उसको अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन होने से अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा का आदेश दिनांक 16.01.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर